उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-587/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(182)-2021

लखनऊः दिनांकः 16 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, नीचे सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मालों जो नीचे सारणी के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्षक, शीर्षक या अध्याय, के अंतर्गत आते हैं, को उक्त अधिनिमय की धारा 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से उस सीमा तक छूट प्रदान करती हैं जितने से की वह पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक होती हो, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स, अर्थात – आईएल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेटडी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%

11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसंटरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटरस	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्लमास्क, (ii) वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए केनुला	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यहअधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रवृत्त होगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव